न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/2337 दिनांक 27/10/2022

प्रार्थीगण :-

1.माणकमल पुत्र चिन्तामणदास,
जाति ओसवाल,
निवासी गोलियार
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. सवाईराम पुत्र भीखाराम 2.शंकराराम पुत्र मंगलाराम 3.सवाईराम 4.मानाराम पि.लक्षमणाराम 5. पदमो पत्नि तगाराम, जाति रबारी 6.हदाराम पुत्र नारणाराम, जाति जाट, 7.सवाईसिंह पुत्र बलवंतसिंह, जाति राजपूत, निवासी गोलियार, तहसील चौहटन, 8.सरपंच ग्राम पंचायत गोलियार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 190/2018 दिनांक : **19.10.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र सणाऊ के मौजा गोलियार के खेत खसरा सं. 23 रकबा 05.19 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/2338 to 2341 दिनांक 27/10/2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी माणकमल
3. विप्रार्थीगण सवाईराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:43:57 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
चौहटन